रामअवतार बनाम तहसीलदार राजगढ
मुकदमा संख्याः—03/65/2024
निर्णय दिनांकः—24.02.2025

नम्बर ह
अहकाम
हुक्म क
जा

सत्यमेव जयते

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला—अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सोनू कुमारी आई.ए.एस.)

र्थना संख्या :— 03/65/2024 आनॅलाईन नम्बरः—2024/352 प्रवेश तिथिः—11.06.2023

1. रामअवतार पुत्र श्री नोन्दा राम सैनी जाति माली आयु करीब 60 साल निवासी मेला का चौराहा के पास राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर। ....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार राजगढ जिला अलवर। ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री सुभाष सैनी एड0 प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार राजगढ—अप्रार्थी

दिनांक 24/02/2025

—:निर्णयः—

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू—राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खाता संख्या 258 खसरा नम्बर 512/0.0300 गै.मु.चाह, 513/0.2100 चाही उत्तम, 516/0.1600 चाही उत्तम, 519/0.1600 चाही उत्तम, 520/0.0500 चाही उत्तम वाके ग्राम राजगढ पटवार हल्का राजगढ—ए तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **नाम रामअवतार पुत्र नोन्दा राम सैनी जाति माली की जगह सहवन से रामप्रसाद पुत्र नोन्दा जाति माली** दर्ज कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का सही नाम **रामअवतार पुत्र नोन्दा राम सैनी जाति माली** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ जिला अवलर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ जिला अलवर के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2024/2946 दिनांक 27.11.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जोकि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार राजगढ रिपोर्ट के अनुसार रामअवतार पुत्र नोन्दा व रामप्रसाद पुत्र नोन्दा जाति मीना दौनो को एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम **रामअवतार पुत्र नोन्दा राम सैनी जाति माली** की जगह सहवन से **रामप्रसाद पुत्र नोन्दा जाति माली** दर्ज कर रखा है। उसके स्थान पर प्रार्थी नाम **रामअवतार पुत्र नोन्दा राम सैनी जाति माली** दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान—ए—बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खाता संख्या 258 खसरा नम्बर 512/0.0300 गै.मु.

Sonu
उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला—अलवर

रामअवतार बनाम तहसीलदार राजगढ
मुकदमा संख्याः–03 / 65 / 2024
निर्णय दिनांकः–24.02.2025

चाह, 513 / 0.2100 चाही उत्तम, 516 / 0.1600 चाही उत्तम, 519 / 0.1600 चाही उत्तम, 520 / 0.0500 चाही उत्तम वाके ग्राम राजगढ पटवार हल्का राजगढ–ए तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नाम **रामअवतार पुत्र नोन्दा राम सैनी जाति माली** की जगह सहवन से **रामप्रसाद पुत्र नोन्दा जाति माली** दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का नाम अन्य रिकार्ड में **रामअवतार पुत्र नोन्दा राम सैनी जाति माली** दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का सही नाम **रामअवतार पुत्र नोन्दा राम सैनी जाति माली** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 27.11.2024, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र NCN/0117275, आधार कार्ड संख्या 8573 0552 0444, राशन कार्ड 118402000059, जन आधार कार्ड 4585760866, इण्डियन ओवरसीज बैंक खाता संख्या 260801000000608, प्रार्थी रामअवतार का शपथ पत्र दिनांक 18.02.2025 आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में आराजी खाता संख्या 258 खसरा नम्बर 512 / 0.0300 गै.मु.चाह, 513 / 0.2100 चाही उत्तम, 516 / 0.1600 चाही उत्तम, 519 / 0.1600 चाही उत्तम, 520 / 0.0500 चाही उत्तम वाके ग्राम राजगढ पटवार हल्का राजगढ–ए तहसील राजगढ जिला अलवर जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामप्रसाद पुत्र नोन्दा जाति माली दर्ज है उसके स्थान पर रामअवतार पुत्र नोन्दा राम सैनी जाति माली दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सोनू कुमारी आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते